

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी-डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 04/2022
जी.सी.एम.एस.पोर्टल संख्या-2022/ 4

प्रार्थी
यूको बैंक, शाखा मकराना,
नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मैसर्स शिव मार्बल ट्रेडर्स प्रोपराईटर श्री प्रेम प्रकाश सोलंकी पुत्र श्री लाल चंद सोलंकी व्यवसाय पता- मैसर्स राणा मार्बल के पास बोरावड़ रोड, मकराना, नागौर-341505
2. प्रेम प्रकाश सोलंकी पुत्र श्री लाल चंद सोलंकी
3. श्रीमति भंवरी देवी पत्नी श्री प्रेम प्रकाश सोलंकी पता-63 शिव कॉलोनी, मकराना, नागौर-341505

आदेश

दिनांक: 05-01-2022

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को रुपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख रुपये मात्र) दिनांक 01.05.2013 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति-(1) पट्टा नं. 672 दिनांक 15.02.2013, मकराना रोड, बोरावर, जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 303.88 वर्गगज, खसरा नं. 380 है, जो कि श्रीमती. भंवरी देवी पत्नी श्री प्रेम प्रकाश सोलंकी के नाम से है। चतुर्थ सीमाएं पूर्व- प्लॉट हुक्मा राम चौधरी, पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर- प्लॉट प्रेम प्रकाश एवं झुमर मल, दक्षिण- प्लॉट प्रेम प्रकाश (2) पट्टा नं. 673 दिनांक 15.02.2013, मकराना रोड, बोरावर जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 127.77 वर्गगज, खसरा नं. 380 है, जो कि श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री प्रेम प्रकाश सोलंकी के नाम से है। चतुर्थ सीमाएं- पूर्व- प्लॉट हुक्मा राम चौधरी, पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर- प्लॉट प्रेम प्रकाश एवं झुमर मल, दक्षिण- प्लॉट भंवरमल (3) पट्टा नं. 674 दिनांक 15.02.2013, मकराना रोड, बोरावर जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 193.33 वर्गगज, खसरा नं. 380 है, जो कि श्री प्रेम प्रकाश सोलंकी पुत्र श्री लाल चन्द सोलंकी के नाम से है। चतुर्थ सीमाएं- पूर्व- प्लॉट हुक्मा राम चौधरी, पश्चिम- प्लॉट झुमर मल, उत्तर- मध्य बिन्दु से 50' छोड़कर मकराना बोरावर बाईपास रोड, दक्षिण- प्लॉट भंवरी देवी (4) पट्टा नं. 675 दिनांक 15.02.2013, मकराना रोड, बोरावर जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 127.77 वर्गगज, खसरा नं. 380 है, जो कि श्री प्रेम प्रकाश सोलंकी पुत्र श्री लाल चन्द सोलंकी के नाम से है। चतुर्थ सीमाएं- पूर्व- प्लॉट हुक्मा राम चौधरी, पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर- प्लॉट भंवरी देवी, दक्षिण- प्लॉट भंवरी देवी, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 31.03.2021 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 16,62,303पैसे 75/- (अक्षरे रूपये सोलह लाख बासठ हजार तीन सौ तीन पैसे पिचहत्तर मात्र) दिनांक 31.03.2021 (दिनांक 31.12.2020 तक ब्याज सम्मिलित) एवं इस दिनांक के बाद का ब्याज एवं अतिरिक्त खर्च, लागत इत्यादि भुगतान बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 04.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्त के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं की गयी व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रुपये 16,62,303पैसे 75/- (अक्षरे रूपये सोलह लाख बासठ हजार तीन सौ तीन



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

पैसे पिचहत्तर मात्र) दिनांक 31.03.2021 (दिनांक 31.12.2020 तक ब्याज सम्मिलित) एवं इस दिनांक के बाद का ब्याज एवं अतिरिक्त खर्च, लागत इत्यादि भुगतान को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्वोरिटीज एवं सिक्वोरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्वोरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- (1) पट्टा नं. 672 दिनांक 15.02.2013, मकराना रोड, बोरावर, जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 303.88 वर्गगज, खसरा नं. 380 है, जो कि श्रीमती. भंवरी देवी पत्नी श्री प्रेम प्रकाश सोलंकी के नाम से है। चतुर्थ सीमाएं पूर्व- प्लॉट हुक्मा राम चौधरी, पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर- प्लॉट प्रेम प्रकाश एवं झुमर मल, दक्षिण- प्लॉट प्रेम प्रकाश (2) पट्टा नं. 673 दिनांक 15.02.2013, मकराना रोड, बोरावर जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 127.77 वर्गगज, खसरा नं. 380 है, जो कि श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री प्रेम प्रकाश सोलंकी के नाम से है। चतुर्थ सीमाएं पूर्व- प्लॉट हुक्मा राम चौधरी, पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर- प्लॉट प्रेम प्रकाश एवं झुमर मल, दक्षिण- प्लॉट भंवरमल (3) पट्टा नं. 674 दिनांक 15.02.2013, मकराना रोड, बोरावर जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 193.33 वर्गगज, खसरा नं. 380 है, जो कि श्री प्रेम प्रकाश सोलंकी पुत्र श्री लाल चन्द सोलंकी के नाम से है। चतुर्थ सीमाएं पूर्व- प्लॉट हुक्मा राम चौधरी, पश्चिम- प्लॉट झुमर मल, उत्तर- मध्य बिन्दु से 50' छोड़कर मकराना बोरावर बाईपास रोड, दक्षिण- प्लॉट भंवरी देवी (4) पट्टा नं. 675 दिनांक 15.02.2013, मकराना रोड, बोरावर जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 127.77 वर्गगज, खसरा नं. 380 है, जो कि श्री प्रेम प्रकाश सोलंकी पुत्र श्री लाल चन्द सोलंकी के नाम से है। चतुर्थ सीमाएं पूर्व- प्लॉट हुक्मा राम चौधरी, पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर- प्लॉट भंवरी देवी, दक्षिण- प्लॉट भंवरी देवी, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से रुपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख रुपये मात्र) दिनांक 01.05.2013 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।




जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति- (1) पट्टा नं. 672 दिनांक 15.02.2013, मकराना रोड, बोरावर, जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 303.88 वर्गगज, खसरा नं. 380 है, जो कि श्रीमती. भंवरी देवी पत्नी श्री प्रेम प्रकाश सोलंकी के नाम से है। चतुर्थ सीमाएं पूर्व- प्लॉट हुक्मा राम चौधरी, पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर- प्लॉट प्रेम प्रकाश एवं झुमर मल, दक्षिण- प्लॉट प्रेम प्रकाश (2) पट्टा नं. 673 दिनांक 15.02.2013, मकराना रोड, बोरावर जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 127.77 वर्गगज, खसरा नं. 380 है, जो कि श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री प्रेम प्रकाश सोलंकी के नाम से है। चतुर्थ सीमाएं- पूर्व- प्लॉट हुक्मा राम चौधरी, पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर- प्लॉट प्रेम प्रकाश एवं झुमर मल, दक्षिण- प्लॉट भंवरमल (3) पट्टा नं. 674 दिनांक 15.02.2013, मकराना रोड, बोरावर जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 193.33 वर्गगज, खसरा नं. 380 है, जो कि श्री प्रेम प्रकाश सोलंकी पुत्र श्री लाल चन्द सोलंकी के नाम से है। चतुर्थ सीमाएं- पूर्व- प्लॉट हुक्मा राम चौधरी, पश्चिम- प्लॉट झुमर मल, उत्तर- मध्य बिन्दु से 50' छोड़कर मकराना बोरावर बाईपास रोड, दक्षिण- प्लॉट भंवरी देवी (4) पट्टा नं. 675 दिनांक 15.02.2013, मकराना रोड, बोरावर जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 127.77 वर्गगज, खसरा नं. 380 है, जो कि श्री प्रेम प्रकाश सोलंकी पुत्र श्री लाल चन्द सोलंकी के नाम से है। चतुर्थ सीमाएं- पूर्व- प्लॉट हुक्मा राम चौधरी, पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर- प्लॉट भंवरी देवी, दक्षिण- प्लॉट भंवरी देवी, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।




(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, नागौर